(7)

## न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

दावा संख्या – 194 / 16

1. खेरूलाल पुत्र मोत्या
2. घनश्याम पुत्र मोत्या
3. गंगादेवी पुत्र मोत्या
4. प्रभाती पुत्री मोत्या

समस्त जातियान खटीक निवासी बोरदा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

... वादीगण

बनाम

1. रामोतार पुत्र देवीराम
2. बल्या पुत्र देवीराम
3. प्रभू पुत्र देवीराम
4. भूरी बेवा देवीराम
5. सूरज पुत्र प्रहलाद
6. रामराय पुत्र प्रहलाद
7. रामधन पुत्र राधाकिशन
8. कालू पुत्र राधाकिशन

समस्त जातियान मीना निवासी बोरदा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौंली जिला स0मा0 राज0

................ प्रतिवादीगण

**वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा**

उपस्थितः– श्री वी.पी. सिंह राजावत एडवोकेट वादीगण की और से

**आदेश**

दिनांकः– 13.4.2

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

वादीगण की और से दावा इस आशय से पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी के आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संवत 2072 से 2075 वाके ग्राम बोरदा खाता संख्या 108 ख.न. 867 रकबा 0.15 हैं0, ख.न. 868 रकबा 0.12 हैं0, ख.न. 869 रकबा 0.08 हैं0, ख.न. 871/1938 रकबा 0.15 हैं0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.50 हैं0 वाके है। उक्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की हैं। जिसमे प्रतिवादीगण मानेमजामहत व मधाखलत करते है। अतः जरिये स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज जरिये रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद तामिल कोई उपस्थित नही हुआ। इस कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

चुंकि मौजुदा वाद पत्र मे जवाब दावा पेश नही हुआ। इस कारण तनकीयात कायम नही की गयी। साक्ष्यवादी पी.ड.1 खेरूलाल, पी.ड.2 महेन्द्र, पी.ड. कन्हैयालाल ली गयी। तथा प्रलेखीय साक्ष्य मे प्रदर्श1 नक्शा ट्रेस व प्रदर्श 2 जमाबंदी प्रदर्शित करवायी।

बहस वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 2 के मुताबिक आराजीयात मुतनाजा वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है। वादीगण अनुसुचित जाति के व्यक्ति है। तथा प्रतिवादीगण अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति है। वादीगण को यह हक प्राप्त है, कि वह अपनी उक्त आराजीयात मुतनाजा पर काश्त करे, तथा प्रतिवादीगण को मानेमजामहत न करने हेतु पाबंद करावे।

अतः हमारे विनम्र अभिमत मे वादीगण का दावा डिक्री किया जाना न्यायहित मे उचित है।

## आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य मे वादीगण का दावा विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि वह वादीगण की खातेदारी की आराजीयात ग्राम बोरदा के मुताबिक जमाबंदी सवंत 2072 से 2075 खाता संख्या 108 मे दर्ज ख.न.867 रकबा 0.15, ख.न. 868 रकबा 0.12, ख.न. 869 रकबा 0.080, ख.न. 871/1938 रकबा 0.15 हैं0 कुल किता 4 कुल

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

रकबा 0.50 हैं0 के कब्जे काश्त मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बांधा उत्पन्न न करे।तदनुसार डिकी जारी हो।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर
बौंली स.मा.

आदेश आज दिनांक 13.4.22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर उच्चारित किया गया।

उप जिला कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर
बौंली स.मा.